राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 168/2012 अनवान कुम्भाराम बनाम रूपराम आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13.02.2020	पत्रावली पेशी में ली गई। दिनांक 11.02.2020 को भू–अभिलेख वृत चोहिलावाली पटवार मण्डल किशनपुरा दिखनादा में अधोहस्ताक्षकर्ता के भ्रमण निरीक्षण रात्रि विश्राम कार्यक्रम के दौरान उक्त पत्रावली में प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते का सम्बधित पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक तथा नायब तहसीलदार हनुमानगढ के साथ मौका निरीक्षण किया गया। दौराने मौका निरीक्षण प्रार्थी कुम्भाराम के पुत्र हंसराज उपस्थित मिले। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनके पिता कुम्भाराम का देहान्त 2 वर्ष पूर्व हो चुका है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है जिसके सन्दर्भ में हमें कोई जानकारी है मात्र यह जानकारी है कि मेरे पिता द्वारा रास्ते स्वीकृति हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें क्या कार्यवाही मुझे ज्ञान नहीं है। अप्रार्थीगण में अप्रार्थी संख्या 10 मनीराम का भी उसके पुत्र नेतराम उपस्थित थे जिन्होंने अवगत कराया कि मेरे पिता मनीराम का भी देहान्त हो चुका है। पत्रावली का भी निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण प्रार्थी द्वारा चक 16 केएसपी के पत्थर नम्बर 136/325 (34) किला नम्बर 1 ता 5 में चालू रास्ता को स्वीकृत करवाने हेतु निवेदन किया गया था। प्रार्थी के पुत्र द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त रास्ता वर्तमान में चालू है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। किला नम्बर 4 में प्रार्थी के पुत्र की ढ़ाणी बनी हुई है जिसमें चाहे गये रास्ते आवागमन हो रहा है परन्तु अब प्रार्थी के पुत्र द्वारा कथन किया कि किला नम्बर 1 ता 4 तक रास्ता स्वीकृत करवाना है किला नम्बर 5 में रास्ता स्वीकृत नहीं करवाना है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते का मौका मुआयना किया। उक्त रास्ता मौके पर चालू पाया गया जिसमें पक्षकारान काशीराम अप्रार्थी संख्या 6 व नेतराम पुत्र मनीराम, शेराराम–अप्रार्थी संख्या 11 तथा रणवीर अप्रार्थी संख्या 12 मौके पर उपस्थित मिले जिनके मौका पर फर्दअहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। उभयपक्षकारान द्वारा उक्त रास्ता को स्वीकृत किये जाने हेतु कोई आपति जाहिर न करते हुये रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। चूंकि प्रार्थी का देहान्त हो चुका है जिसका राजस्व रिकार्ड में उसके वारिसान का नाम अंकित हो चुका है। प्रार्थी के वारिसान द्वारा चालू रास्ते को स्वीकृत करने की मांग करने व अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की मांग का विरोध न करने के कारण मौका स्थिति अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः प्रार्थना–पत्र 251–ए आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर चक 16 के.एस.पी. पत्थर नम्बर–136/325 (34) के किला नम्बर 1 ता 4 में प्रत्येक किला में 0.012 हैक्टर मौके पर चालू रास्ता को स्वीकृत किया जाकर मुताबिक उभयपक्ष के राजीनामा मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 1 के मुताबिक राजस्व रिकार्ड काश्तकार को 0.012 हैक्टर भूमि के मुआवजा स्वरूप प्रार्थी–कुम्भाराम का पुत्र श्री हंसराज वर्तमान डी.एल.सी. का दो गुणा राशि देगा। उक्त राशि की गणना तहसीलदार हनुमानगढ़ की जाकर प्रार्थी के पुत्र से अप्रार्थीगण को दिलवाये जाने के उपरान्त उक्त स्वीकृत किये गये गैर मुमकिन रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। तहसीलदार हनुमानगढ़ को निर्णय की प्रति पालना हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली नम्बर से कम जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (कपिल यादव)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.02.20 16:27:12 IST
Reason: SelfAttested